फैक्स/विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

संख्या 437/6/1/2012-सीसी एवं बीई (एमसीसी एवं एमपीएलएडी) **तारीख : 24 अप्रैल**, 2012

सेवा में

1. मंत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखण्ड,
   केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
   त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल सरकार

3. आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखण्ड,
   केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
   त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचनों में आदर्श आचार संहिता का लागू होना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने आंध्र प्रदेश के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विभिन्न राज्यों के कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। ब्योरे निम्नलिखित हैं :-

क्रम सं.	राज्य	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	**39**-नेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
2.		**104**-पारकल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
3.		**127**-नारासन्नापेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
4.		**152**-पायाकारओपेट **(**अनु.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
5.		**161**-रामचन्द्रपुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
6.		**177**-नरसापुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
7.		**186**-पोलावरम **(**अ.ज.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
8.		**212**-प्राथीपाडु **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

9.	आंध्र प्रदेश	**220**-माचेरला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
10.		**227**-औंगोले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
11.		**242**-उदयगिरि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
12.		**244**-राजमपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
13.		**246**-कोडुर **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
14.		**247**-रायाचोटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
15.		**253**-अल्लागड्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
16.		**263**-येम्मीगनूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
17.		**267**-रायदुर्ग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
18.		**272**-अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
19.		**286**-तिरुपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
20.	गोवा	**27**- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
21.	झारखण्ड	**64**-हटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
22.	केरल	**140**-नेय्याट्टिनकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
23.	मध्य प्रदेश	**183**-महेश्वर **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
24.	महाराष्ट्र	**232**-कैज **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
25.	तमिलनाडु	**180**-पुडुक्कोट्टाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
26.	त्रिपुरा	**21**-नलछर **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
27.	उत्तर प्रदेश	**82**-मांट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
28.	पश्चिम बंगाल	**230**-दासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
29.		**252**-बंकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

2. इस उद्घोषणा से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उन जिलों, जिनमें उप निर्वाचन के निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समाविष्ट हैं, में तत्काल प्रभाव से लागू

हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता के उपबंध संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उप निर्वाचनों के परिणाम की औपचारिक उद्घोषणा के शीघ्र बाद प्रचालन में नहीं रहेंगे। इसे सरकार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार के सभी अन्य कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए।

3. आपका विशेष ध्यान आदर्श आचार संहिता के खंड VII (vi) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्द्र में या राज्य में या संबंधित राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए शासकीय हैसियत का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :-

(i) **(**क**)** मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य से नहीं मिलाएंगे और निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य के दौरान शासकीय क्षेत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे;

(ख**)** शासकीय एयरक्राफ्ट, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, तंत्र एवं कार्मिकों का उपयोग सत्तासीन दल के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ii) निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों तथा मैदानों आदि का उपयोग और निर्वाचनों के संबंध में एयरक्राफ्ट के लिए हैलीपैड का प्रयोग अपने द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऐसे स्थानों एवं सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन बातों एवं निबंधनों पर सत्तासीन दल द्वारा उनका उपयोग किया जाता है;

(iii) विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवास का उपयोग सत्तासीन दल या इसके अभ्यर्थियों द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा तथा ऐसे आवास का उपयोग दूसरे दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने की अनुमति निष्पक्ष रीति में दी जाएगी किंतु कोई दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन दुष्प्रचार के प्रयोजनों के लिए कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने या प्रचार कार्यालय के रूप में ऐसे आवास **(**उससे सम्बद्ध परिसरों सहित**)** का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iv) समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने और राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग तथा सत्तासीन दल की प्रत्याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के बारे में प्रचार से निष्ठापूर्वक बचा जाना चाहिए;

(v) मंत्री और प्राधिकारी, आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा किए जाने के समय से विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों को स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और

(vi) आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा के समय से, मंत्री और अन्य प्राधिकारी –

- **()** किसी रूप में कोई वित्तीय अनुदानों की उद्घोषणा नहीं करेंगे या उनके लिए वचन नहीं देंगे; या
- **()** किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशीला नहीं रखेंगे **(**लोक सेवक के सिवाय**)**; या
- **()** सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था आदि के बारे में कोई वचन नहीं देंगे; या
- **()** सरकार सार्वजनिक उपक्रमों आदि में तदर्थ नियुक्तियां नहीं करंगे जिनमें सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभाव हो।

4. जैसा कि उपर्युक्त पैरा **3** {खंड IV} से देखा जा सकता है, सरकारी खजाने की लागत से सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। **यदि कोई विज्ञापन, प्रसारण या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी हो चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रानिक मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को तत्क्षण रोक दिया जाए और आज से ही ऐसा कोई विज्ञापन किन्हीं समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित न किया जाए और इसे शीघ्र वापस ले लिया जाए** –

5. इस संबंध में आयोग का तारीख **5** मार्च, 2009 के पत्र सं**. 437/6/2009**-सीसीबीई के तहत जारी अनुदेश, आयोग की वेबसाइट **(**http://eci.nic.in/**)** पर उपलब्ध है।

6. आयोग निदेश देता है कि निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूरी रोक होगी। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु वहीं तक सीमित नहीं होंगे:-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;
(ii) मंडल आयुक्त;
(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित राजस्व अधिकारी;
(iv) निर्वाचनों के प्रबंधन से संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारी यथा, रेंज महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, उप मंडल पुलिस अधिकारी यथा, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **28**क के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्त हैं;
(v) निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से पूर्व उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों की बाबत जारी स्थानान्तरण आदेशों, किंतु जो आज की तारीख तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं, को इस संबंध में आयोग से विशिष्ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए;
(vi) यह रोक निर्वाचन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। आयोग आगे यह और निदेश देता है कि राज्य सरकार को राज्य में निर्वाचन के प्रबंधन में भूमिका वाले वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण करने से दूर रहना चाहिए।
(vii) ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्थानान्तरण आवश्यक है, वहां राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृति के लिए पूर्ण औचित्य के साथ आयोग से संपर्क करना चाहिए।

7. आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया आदर्श आचार संहिता के बारे में अनुदेशों के संग्रह **(**खंड **3)** का अवलोकन करें जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. कृपया पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव